

सेवाराम बनाम पन्नालाल
मु.नं. - 32/2019 (F.I)

मु० नम्बर.....किस्म.....

.....उनवान.....

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

फर्द अहकाम

दिनांक	फर्द अहकाम
23 ⁷ 2022	<p>पन्नालाल के खिलाफ है। न्यायालय नकील उप न्यायालय नकील के अलग कर दिया कि न्याय प्रकरण की टिप्पणी में समाहित करना बाधा है।</p> <p>आर: मु.नं. 32/19 F.I सेवाराम बनाम पन्नालाल की टिप्पणी में समाहित किया जा रहा है। पन्नालाल के खिलाफ सुमार दो लाख रुपये का अहकाम है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटा (करौली)</p>

not press
#

